कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–2876 /FP/UK/ROAD/45289/2020 :देहरादूनः दिनांकः 12 जून, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.995 हे0 (पूर्व में 4.925 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या– 8बी/यू.सी.पी/06/74/2020/एफ0सी0/718 दिनांक 24.07.2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति की परिपूर्ण/बिन्दुवार आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक–3247/12–1(2) दिनांक 24.05.2023 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र.स.	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्ते	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है, कि शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। **(संलग्नक–1)**
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण –** **क)** वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.99 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम सुल्ला सिविल खसरा नं0 1204, 1230, 1232 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा, जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। **ख)** गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तांतरण, नामान्तरण एवं Notification करने के प चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात	**प्रतिपूरक वनीकरण –** **क)** वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.99 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम सुल्ला सिविल खसरा नं0 1204, 1230, 1232 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा, जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायेगा। **(संलग्नक–2)** **ख)** गैर वानिकी भूमि 3.99 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम सुल्ला सिविल खसरा नं0 1204, 1230, 1232 को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपान्तरित कर दिया गया है। वर्ष 1893 के राजपत्र के अनुसार यह भूमि संरक्षित वन क्षेत्र है तथा भूमि का अमल दारामद राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है एवं इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है। इस हेतु इस भूमि को पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता

	भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आव यक है। पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। **ग)** वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	नहीं है। **(संलग्नक–3)** **ग)** उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–4)**
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आव यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्शो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान भामिल किए जा सकते हैं।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत के पत्रांक संख्या 331/12–1, चम्पावत दिनांक 28.07.2020 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के रख–रखाव हेतु वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित दर रू0 337184.00 मात्र प्रति हे0 की दर से कुल धनराशि रू0 1345364.00 की मांग के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 24.07.2020 को वांछित धनराशि जमा की जा चुकी है जिसकी ऑनलाईन Transaction Acknowledgement slip तथा Online Payment History Slip की प्रति प्रेषित की गयी है, जो कि संलग्न की जा रही है। **(संलग्नक–5)**
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य **क)** इस सम्बन्ध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WPC संख्या–202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.998 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। **ख)** विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि **(क)** शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 22.01.2021 को जमा की जा चुकी है, जिसकी Online Transction acknowledgement slip तथा Online Payment History Slip संलग्न है। **(संलग्नक–5 के अनुसार)** एन0पी0वी0 की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–6)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है, कि शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। **(संलग्नक–7)**
7	State Government will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guideline para 11.2, The State Govt. will strictly moniter and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

फेज	प्रस्ताव का नाम	जनपद	देय धनराशि	
			एन0पी0वी0	प्रतिपूरक वनीकरण
XIX	किमतोली से कोट मोटर मार्ग	चम्पावत	1310715.00	1345364.00

8	State Government will submit the muck disposal plan proposed in Non-Forest land.	प्रस्तावक विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–8)**
9	As per Guideline dated 08-11-2017 in case it is not possible to rise plantation at the rate of 1000 Plants per Ha. Then the balance plants shell be planted on degraded forest as per working plan prescription. In this regard. State Govt. will submit the plantation scheme to this office.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–9)**
10	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जायेंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 एवं प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धनराशि विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है **(संलग्नक–5 के अनुसार)**
11	एफआरए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा	प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है, कि शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। **(संलग्नक–10)**
12	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों–बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा Strip Plantation से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–11)**
13	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साइनेज लगाये जायेंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रसताव का Lay Out Pan न बदले जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–12)**
16	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–13)**
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विभाग निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–14)**
18	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रतयावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–15)**
19	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–16)**
20	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–17)**
22	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–18)**
23	इनमें से किसी भी भार्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफ.सी. दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–19)**
24	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित भार्ते लागू होंगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
25	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलुवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलुवा नहीं फेंका जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–20)**
26	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंन्सी की जिम्मेदारी होगी।
27	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही/स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–2876/ FP/UK/ROAD/45289/2020 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड (लो0नि0वि0), पी0एम0जी0एस0वाई0, चम्पावत।

12/6/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।